उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या: 03-परीक्षा / 2018

अधीनस्थ कृषि सेवा (वर्ग -3) प्राविधिक सहायक ग्रुप-"सी" (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018

ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि – **21.07.2018**

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि - **21.07.2018**

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन / ऑनलाइन शुल्क / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – **23.08.2018**

आवेदन मे संशोधन की अंतिम तिथि - **30.08.2018**

विशेष कथन – उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23.08.2018 तक है इस तिथि के बाद कोई आवेदन/फीस स्वीकार नहीं होगी । आवेदक अपने आवेदन का Printout तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता । अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 23.08.2018 से एक सप्ताह के अंदर अर्थात 30.08.2018 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए । इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में (Registered mobile Number, Email , आधार नम्बर, कैटेगरी को छोड़कर) संशोधन भी कर सकता है ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या **03-परीक्षा / 2018** के अंतर्गत निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग- 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप –सी के रिक्त कुल 2059 पदों, जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु-3 की सारणी-1 में दिया गया है, पर **अधीनस्थ कृषि सेवा (वर्ग -3) प्राविधिक सहायक ग्रुप – सी (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018** के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना – इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है । अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें । ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त किया गया है ।

(1) आवेदन पत्र भरने की प्रकिया – आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को पॉच भागों में विभक्त किया गया है ।

1- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)
2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड(Photo and Signature Upload)
3- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)
4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)
5- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

नोट – अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है ।

अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर "ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा । अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ ले कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित योग्यता रखते हैं । तदोपरांत आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें । User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा - निर्देश दिये गए हैं । अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित User Instruction अवश्य पढ़ें ।

आवेदन की प्रक्रिया

भाग-1- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

I. इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से सम्बन्धित आवश्यक सूचना भरना होगा। प्रत्येक फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें।

II. Registration पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे -नाम, पिता/पति का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, इमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हों) का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनायें सही-सही भरनी हैं।

III. वेब पेज पर नीचे की ओर **"Enter Verification Code"** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात **"सबमिट"** बटन को क्लिक करें। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर **"रजिस्ट्रेशन स्लिप"** प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर विवरण सहित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के **Applicant Segment** में **Know Your Status** के अंतर्गत **"Print Duplicate Registration Slip"** बटन को क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट कर सकता है।

भाग-2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload)

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए –

I. चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/ छाया नहीं होनी चाहिये।
II. ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो।
III. चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो।
IV. चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए।
V. कैमरे पर नजर सीधी हो।
VI. अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुंह बन्द)।
VII. सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
VIII. फोटो का आकार 35 मिमी (1.4 इंच) x 45 मिमी (1.75 इंच) का होना चाहियें। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो।
IX. फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

<u>अभ्यर्थी अपना 3.5cm चौड़ा व 4.5cm लंबा रंगीन फोटोग्राफ (हस्ताक्षर सहित)</u> *.jpe,*.jpeg,*.jpg,* प्रारूप में स्कैन करें जिसका न्यूनतम आकार 05Kb तथा अधिकतम आकार 30 Kb से कम होना चाहिए। **हस्ताक्षर 1.5 cm लंबा तथा 3.5cm चौड़ा होना चाहिए।**

अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद **"Continue"** बटन को क्लिक करते ही दूसरे पृष्ठ पर चले जायेंगे।

भाग- 3- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

I. अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) तथा स्थाई व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration) -

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणा-पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा से सहमत हो तो Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वत: रुक जायेगी।

अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूरणीय समस्त स्तम्भो की पूरित प्रविष्टियों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यदि पूरित आंकडो में कोई संशोधन चाहते हैं तो **"बैक"** बटन को क्लिक कर प्रविष्ट विवरणो को-संशोधित भी कर सकते हैं|

जब अभ्यर्थी आवेदन की पूरित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट हो जायें तो सबमिट बटन को क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकडो को अंतिम रूप से संप्रेषित करेंगें।

नोट – यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है इस स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

भाग- 4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)

(I) अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से बेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ **Proceed To Download and print The Application Form** बटन को क्लिक कर अपना फार्म अन्तिम रूप से **Submit** कर सकता है तथा उसका एक **Printout** भी ले सकता है।

(II) ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को-SBI का ई चालान-download कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकतें है।

(III) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ईचालान- के माध्यम से बेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है।

(IV) अभ्यर्थी फीस जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा।

(V) शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

विशेष नोट – अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है।

1 (क) आवेदन शुल्क – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद भाग -4 में उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है -

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
(5)	विकलांगजन हेतु	------	25.00	25.00

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक -1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

भाग- 5-फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत Print Detailed Application Form बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी Homepage पर **Applicant Segment** के अन्तर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अवश्य प्रिंट कर ले। उसके बाद अर्थात एक सप्ताह के बाद Printout नहीं ले सकेगा।

नोट- **अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य सुनिश्चित कर लें।**

2 - आवेदन पत्र में संशोधन

(I) **अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है** इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Modify Submitted Application** पर click कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब Login करेगा तो उसके Registered mobile Number तथा Email पर एक OTP(One Time password) जायेगा इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है, परन्तु वह अपना Registered mobile Number, Email , आधार नम्बर, कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है।

(II) **अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फार्म संशोधित कर सकता है।**

(III) **आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 30.08.2018 तक ही अनुमन्य है।**

3 - उपर्युक्त प्रस्तर-1 मे उल्लिखित रिक्त पदों का विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

					पदों की संख्या					
पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	वेतन बैन्ड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	01 जुलाई, 2018 को आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में।	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	स्थायी /अस्थायी
1-	निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश	अधीनस्थ कृषि सेवा (वर्ग -3) प्राविधिक सहायक ग्रुप-"सी"	5200-20200 ग्रेड पे – 2400	21-40	1031	432	41	555	2059	स्थायी
			कुल पद		**1031**	**432**	**41**	**555**	**2059**	

क्षैतिज आरक्षण का विवरण -

उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पदों पर क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है-

सारिणी- 2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	अधीनस्थ कृषि सेवा (वर्ग - 3) प्राविधिक सहायक ग्रुप- "सी"	(i)- स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)- विकलांग –पी०बी ० -20,पी ० डी० -20, ओ० ए०-10,ओ० एल०-11 (iii)- महिला (iv)- भूतपूर्व सैनिक	41 61 411 102

नोट- विकलांगजन हेतु आरक्षित पद उपर्युक्त सारणी- 2 के स्तम्भ 3 में उल्लिखित विकलांगता की उपश्रेणी हेतु ही अनुमन्य है। अन्य श्रेणी के विकलांग जन आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी

(1)- उपर्युक्त सारिणी -1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2018 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है, धारित करते हैं , वे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2)- महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(4)- उपर्युक्त सारणी 1 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

(5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

4 - अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) - उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों की अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) निम्नवत है -

पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)
1-	निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	अधीनस्थ कृषि सेवा (वर्ग -3) प्राविधिक सहायक ग्रुप- "सी"	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।

<u>बिशेष नोट – उपर्युक्त सारिणी में पद हेतु वांछित अर्हता प्रश्ङ्गत पद की संगत सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 की परिशिष्ट के स्तम्भ -2 के अनुसार है।</u>

<u>नोट -</u> रजिस्ट्रेशन करते समय यदि किसी अभ्यर्थी ने जिस बोर्ड से परीक्षा पास की है उसका नाम Drop Down Menu में नहीं है वह अभ्यर्थी Drop Down Menu में सबसे नीचे option OTHER BOARD दिया हुआ है, उसका चयन करें तथा अपने बोर्ड का नाम टाइप करें।

<u>अधिमानी अर्हताएँ :-</u> उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

05 - <u>आयु सीमा :-</u> (1) आयु गणना की निर्णायक तिथि **01 जुलाई 2018** है अर्थात अभ्यर्थी ने पहली जुलाई **2018 (01-07-2018)** को **21** वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और **40** वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म **02 जुलाई 1978** से पूर्व तथा **01 जुलाई 1997** के बाद न हुआ हो। **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ** तथा शासनादेश दिनांक **28.11.1985** के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को **5** वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिको के लिए अधिकतम आयु सीमा में **03** वर्ष की छूट **01 जुलाई 2018** को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से **03** वर्ष से अधिक न हो।

06- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गो को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक / विकलांगजनों तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों के अनुसार (विभाग द्वारा रिक्तियाँ अवधारित करने पर) नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

<u>07 - चयन का आधार – लिखित परीक्षा (ऑनलाइन/ऑफलाइन)</u> - अधीनस्थ कृषि सेवा (वर्ग -3) प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के पदों पर चयन सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 और उत्तर प्रदेश समूह "ग" के पदों के लिए सीधी भर्ती के संबंध में कार्मिक अनुभाग – 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या – 04 /2017/ 1/1/2017- का -2 दिनांक 31.08.2017 के अनुसार की जाएगी।

08 – <u>प्रस्तावित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम –</u>

अधीनस्थ कृषि सेवा (वर्ग -3) प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 हेतु परीक्षा योजना (अनन्तिम) एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है -

परीक्षा योजना (अनन्तिम)

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	परीक्षा अवधि
1.	भाग-1 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	100	2 घंटा
2.	भाग-2 सामान्य ज्ञान	50	100	
3.	भाग-3 सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित	50	100	
4.	भाग-4 सामान्य हिन्दी	50	100	
	कुल योग	**200**	**400**	

उपरोक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिये जाने का (ऋणनात्मक अंक) प्रावधान किया जा रहा है, जो कुल 50 प्रतिशत होगी अर्थात दो प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा।

पाठ्यक्रम

भाग 1-सामान्य बुद्धि परीक्षण

(1) युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।

(2) सामान्य मानसिक योग्यता – ऐसे प्रश्न जिनसे, अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके।

(3) सांख्यकीय विश्लेषण ग्राफ और डायग्राम - जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यकीय, ग्राफकीय, डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम, निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके।

भाग 2-सामान्य ज्ञान

(1) कम्प्यूटर ज्ञान - कम्प्यूटर का परिचय हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेर, कम्प्यूटर नेटवर्क एवं ईमेल।

(2) उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न शिक्षा, संस्कृति, कृषि ,जनसंख्या , व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कलाएं (गायन, संगीत नाटक आदि विधायों की सामान्य जानकारी) आदि।

(3) अंत: वैयक्तिक क्षमता जिसमे सम्प्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान भी समाहित होगा।

(4) सामान्य मानव व्यवहार - अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण।

(5) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन – भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक , आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की सामान्य जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतन्त्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति की सारपरक जानकारी अपेक्षित है।

(6) भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल - भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबन्धित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी।

(7) भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायतीराज, लोकनीति एवं अधिकारित मुद्दे आदि - भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायतीराज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबन्धित प्रश्न होंगे।

(8) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास एव गांधी विचारधारा – अभ्यर्थियों का जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबन्धित समस्याओं एवं पारस्परिक संबध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। बैंकिंग, बहीलेखन और लेखाशास्त्र आदि से संबंधी प्रश्न होंगे।

(9) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ- इसमे खेल कूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

(10) भारतीय कृषि भारत में कृषि- कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी।

<u>भाग 3-सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित</u>

(1) सामान्य विज्ञान – सामान्य विज्ञान (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान) के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परोबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। इसमे भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका संतुलित आहार , कैलोरी डिस्ट्रिब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ एवं बचाव, एनिमिया, विभिन बीमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जलचक्र, जलस्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक, एक्यूफर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेजीस्टिविटी सर्वेक्षण आदि से संबन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे।

(2) प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक – इसमें अंक गणित, बीजगणित एवं रेखागणित से संबन्धित प्रश्न होंगे।

<u>भाग 4-सामान्य हिन्दी</u>

(1) अपठित गद्यान्श का संक्षेपण, उससे संबन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशो की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

(2) शासकीय, अर्द्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबन्धित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न।

(3) वर्ण एवं ध्वनि विचार : उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा-पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण।

(4) शब्दरचना : संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग , प्रत्यय।

(5) शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तदभव, देशज, विदेशी।

(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक निपात)

(6) शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली।

(7) शब्द शुद्धि।

(8) व्याकरणिक कोटियां : परसर्ग, लिंग, वचन, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य।

(9) वाक्य रचना, प्रकार- सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि।

(10) विराम चिन्हों का प्रयोग।
(11) मुहावरें / लोकोक्तियाँ
(12) अनुवाद : समतुल्य शब्द चयन, वाक्यांश का अर्थ।
(13) उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ।
(14) हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद।
(15) हिन्दी भाषा / हिन्दी साहित्य का सामान्य ज्ञान।

09 - <u>अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-</u>

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी।

(3) **<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगा।</u>**

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(8) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एस. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(11) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008-का-2-2008 दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर है तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

(13) **संशोधित आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-3 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-4 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित अर्हता ही स्वीकार की जाएगी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता विचारण के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे।**

(14) उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र०स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत चयनित महिलाओं को भी शासनादेश दिनांक- 25 फरवरी 1999 के प्राविधानानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबन्धित हैं।

10 - अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश –

1- **किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।**

2- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

3- आयु एव शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

4- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमाक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

5- <u>जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।</u>

6- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।

7- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

8- **<u>आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।</u>**

9- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित(देबार) किया जा सकता है।

10- **<u>आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाये आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु लगातार आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।</u>**

11- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमो में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

12- **<u>ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता/अर्हताएँ नहीं रखते हैं वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।</u>**

13- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

14- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।

15-यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट के Homepage पर उपलब्ध FAQ के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते है।

16- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 23.08.2018 है।

20.7.18

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... निवासी ग्राम–.............................. तहसील–.............................. नगर–.............................. जिला–.............................. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित).............. .... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).............. .... के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म — 1 से 4

प्रपत्र — 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनकी टीम ने द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक मे (क्रीडा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय .... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोट: यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्न्तविश्वविद्याल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाडियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक ....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तविश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–प्रत्र डीन ऑफ स्पोर्टस् अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

पद ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट: यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–खूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रशन्स/निदेशक, शिक्षा उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल ग्रेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोट: यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव